

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) नाथद्वारा, जि. राजसमन्द (राज.)

दि. १६/१२/२५ शंकरपाल वंश विपत्ती १५/१२/२५  
 मुकदमा प्र.पत्र पत्रावली संख्या १५३/१२ पद

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
१६/१२/२५	पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकाारी महोदय अवकाश में है /राजकीय भ्रमण पर है। अतः पत्रावली दि. १५/१२/२५ को पेश हो।	
२५/१२/२५	पत्रावली पूर्व आदेशानुसार भायदा तस्वि १०/१२/२५ की पेश हो।	
१०/१२/२५	पत्रावली पेश / अधिवक्ता पत्तकारान् उप./ पत्रावली वास्ते बट्स आंशदा तारिख ११/१२/२५ को पेश हो।	
११/१२/२५	पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकाारी महोदय अवकाश में है /राजकीय भ्रमण पर है। अतः पत्रावली दि. ११/१२/२५ को पेश हो।	
	५/३/२५ पत्रावली पेश हुई अधि. पक्षकारान् उप.। बट्स सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि. २५/३/२५ को पेश हो।	
	२५/३/२५ पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकाारी महोदय अवकाश में है /राजकीय भ्रमण पर है। अतः पत्रावली दि. २५/३/२५ को पेश हो।	
	३/५/२५ पत्रावली पेश हुई उग्र पक्ष अधि. उप.। उग्र पक्ष अधि. की अजिद बट्स सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली से उपलब्ध रेकर्ड्स पर अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वास्तुतः आराखियात के पूर्व जातेवर मोदीशम के द्वारा अजिद जोटेरी वसीयत से आधीगण के पक्ष से वसीयत की गई। ऐसी स्थिति से प्रथम हस्त्या आमला सुविधा, भौतलन	

एवं अप्रुबनीय इति किंनो ही विन्ड प्रार्थी के पक्ष मे होना  
पुरीत घेता है। अतः प्रार्थीगण का प्राप्तर अन्तर्गत धारा  
212 P.M का स्वीकार किया जाकर शिखरव ग्राम तकडियों  
का छुटा तस्वीय जायगश ही वाद शरत आराजी संख्या  
74, 75, 76, 77 कुल किला-4 कुल रकबा 10-06 बीघा  
की वर्तमान मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति अनापे  
अन्ने के आवेला दिये जाते हैं। इस हेतु विपक्षीगण  
को पाखन्द दिया जाता है। धनावली कैसल शुमाट  
से जम्बट से कर ली जावे।

महायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)

रायदास बिजा प्रबसम्भ